

2/5/2022

तारीख पत्र

श्रीधरदासराव

अपार्षी

काठु, कटूमर

तारीख दस्ता	दस्ता या कांवेसाही वर प्रतीपत्तिका अर्थ	कारण व तारीख अदालत जी दस्त दस्ता जी सादील में जारी हुए
21.01.2022	<p>वकील प्राणी लखनपाल। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान कारखानकारी अधिनियम वकील प्राणी ने मूल दावा के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तारीख के वकील सायल ने शुद्ध पत्र नकार जेम्बर्दी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को बाबंद कराने का निर्देश किया वकील सायल को एक खरीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया कस व सुविधा का संतुलन एवं वा पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में ब्यूकी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीण जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं० 1302, 1303, 1304, 1311, वाके ग्राम कालवाडी व आराजी खसरा नं० 1945, 1948, 1998, वाके ग्राम मैरुवास तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोइ उज्र हो तो दिनांक 21.01.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि० डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 21.01.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
 कटूमर (अलवर)
 कटूमर (अलवर)

2 no 289
 15/3/22

21.1.22

21.01.22
 6.1.22
 30/2/22

अपार्षी अधिकारी
 कटूमर (अलवर)